

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव,  
लखनऊ विश्वविद्यालय को  
सम्बोधित करें, अन्य किसी  
अधिकारी के नाम से नहीं

पत्र संख्या :

दिनांक :

प्रेषक,

कुलसचिव,  
लखनऊ विश्वविद्यालय,  
लखनऊ-226007

सेवा में,

समस्त संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, निदेशक/प्रभारी/समन्वयक ल0वि0वि0, लखनऊ

विषय : शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी छात्र/छात्राओं हेतु शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना से लाभान्वित होने हेतु छात्रवृत्ति ऑन-लाइन आवेदन पत्र में लगाये जाने वाले आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय/ महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश के पत्रांक सी०-1426/स०क०/शिक्षा-अ/9/2025-26, दिनांकित 18 जून, 2025 के द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (सत्र-2025-26) हेतु आवेदन करने के लिए पत्रांक 115/2025/1370/26-3-2025-1741051, दिनांक 10.06.2025 के द्वारा समय सारणी जारी करते हुए दिनांक 10.07.2025 से पोर्टल खोले जाने से अवगत कराया गया है।

उक्त क्रम में निर्देशित किया गया है कि नियमावली में दी गयी व्यवस्थानुसार दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति (सत्र 2025-26) हेतु आवेदन में लगने वाला आय प्रमाण-पत्र छात्र/ छात्रा के पिता का एवं पिता के न होने की स्थिति में माता का तथा माता/पिता दोनों के जीवित न होने की दशा में संरक्षक का मान्य होगा, छात्रा के विवाहित होने की स्थिति में पिता के स्थान पर उसके पति का आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।

कृपया सानुरोध उक्त को विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रचार प्रसार हेतु आपके स्तर से अपेक्षित है, जिससे समय रहते छात्र/ छात्रा निर्देशानुसार आय प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया पूर्ण कर सकें।

सहयोग हेतु धन्यवाद।

भवदीया,

(डॉ० भावना मिश्रा)  
कुलसचिव

SC/ST/11352-56

01/07/25

पत्र संख्या : ..... दिनांक : .....

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. डीन अकादमिक, ल0वि0वि0।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, ल0वि0वि0।
4. निदेशक, आई०पी०पी०आर०, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करवाने के अपेक्षा में।

✓ 5. इन्चार्ज, वेबसाइट, ल0वि0वि0।

82  
28.06.25  
उपकुलसचिव (छात्रवृत्ति)  
ल0वि0वि0।

निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश,  
10वां तल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।

पत्रांक: 608 / पि0व0क0 / 2025-26

लखनऊ:

दिनांक 24 जून, 2025

समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

विषय- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या- 115/2025/1370/26-3-2025-1741061 दिनांक 10 जून, 2025 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किया गया है।

अतः मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या- 115/2025/1370/26-3-2025-1741061 दिनांक 10 जून, 2025 की छायाप्रति पत्र के संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।  
संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by  
VIKAS SHARMA  
(विकास शर्मा)  
Date: 24-06-2025  
19:48:42

पृष्ठांकन सं0 / 608 / पि0व0क0 / 2025-26 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई), योजना भवन, लखनऊ को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या- 115/2025/1370/26-3-2025-1741061 दिनांक 10 जून, 2025 छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश।

(विकास शर्मा)  
प्र0 निदेशक

संख्या-11.5/2025/1370/26-3-2025-1741061

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,  
मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
समाज कल्याण विभाग,  
उ०प्र लखनऊ।

D.D.

SL

18/06/25  
D

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 10 जून, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-778-81/स०क०/शिक्षा-अ/9/3/2025-26 दिनांक 20.05.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु समय-सारिणी का शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुसंध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्रदेश के अन्दर एवं बाह्य प्रदेशों में (राजकीय/ अनुदानित शिक्षण संस्थानों के केवल सामान्य वर्ग के छात्र) संचालित शिक्षण संस्थाओं (उच्च कक्षाओं) द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, ऑनलाइन आवेदन तथा छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु समय-सारिणी जारी की जानी है।

3- तत्कम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्थाओं को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय-सारिणी निर्गत की जा रही है:-

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
	<b>मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही</b>	
1	<p><b>शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना</b></p> <p>प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही विश्वविद्यालय/ एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना।</p> <p>बाह्य प्रदेश (सामान्य वर्ग) में स्थित शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करना तथा योजनाधिकारी/नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना।</p> <p>मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं (प्रदेश व बाह्य प्रदेश) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेंसी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।</p>	07 जुलाई, 2025 से 25 नवम्बर, 2025 तक

AD (Sch.)

10.06.2025  
DU

2	<b>विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा फीस आदि का सत्यापन</b> प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	08 जुलाई, 2025 से 05 दिसम्बर, 2025 तक
3	<b>मास्टर डाटा का सत्यापन</b> समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रख्यापित नियमावतियों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रदेश के अन्दर शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करके लॉक किया जायेगा। राजकीय/अनुदानित शिक्षण संस्थानों में तथा निजी शिक्षण संस्थानों में ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें सक्षम प्राधिकारी स्तर से शुल्क का निर्धारण किया गया है उन पाठ्यक्रमों की फीस को विश्वविद्यालय द्वारा लॉक की गयी फीस की सीमा के अधीन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा लॉक करना।	09 जुलाई, 2025 से 12 दिसम्बर, 2025 तक
4	<b>अल्पसंख्यक वर्ग हेतु एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की मार्किंग किया जाना</b> मास्टर डाटा में सम्मिलित व एन.एस.पी. पोर्टल पर पंजीकृत निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों की जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर मार्किंग किया जाना।	10 जुलाई, 2025 से 22 फरवरी, 2026 तक
<b>छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रक्रिया</b>		
5	<b>छात्र द्वारा रजिस्ट्रेशन/ऑनलाइन आवेदन</b>	10 जुलाई, 2025 से 20 दिसम्बर, 2025 तक
6	<b>छात्र द्वारा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालना</b> छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन फाइनल सबमिशन किया जाना।	12 जुलाई, 2025 से 23 दिसम्बर, 2025 तक
7	<b>हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना</b> आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	24 दिसम्बर, 2025 तक
8	<b>शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अप्रसारित करना</b> छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अप्रसारित करना।	11 जुलाई, 2025 से 10 जनवरी, 2026 तक
<b>प्रथम चरण</b>		
9	<b>शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अप्रसारित करना</b> छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अप्रसारित करना।	10 दिसम्बर, 2025 तक

10	<b>विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना</b> सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था में अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	11 दिसम्बर, 2025 से 18 दिसम्बर, 2025 तक
11	<b>एन0आई0सी0 द्वारा स्फुटनी</b> PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	11 दिसम्बर, 2025 से 22 दिसम्बर, 2025 तक
12	<b>जनपदीय समिति द्वारा शब्द डाटा लॉक करना</b> जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	23 दिसम्बर, 2025 से 10 जनवरी, 2026 तक
13	<b>मांग सृजन</b> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	15 जनवरी, 2026 तक
14	<b>धनराशि का अन्तरण</b> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीड/एन0पी0सी0आई0 से मैप बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही।	24 जनवरी, 2026 तक
<b>द्वितीय चरण</b>		
15	<b>शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अप्रसारित करना</b> छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अप्रसारित करना।	11 दिसम्बर, 2025 से 10 जनवरी, 2026 तक
16	<b>विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना</b> सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था में अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	12 जनवरी, 2026 से 24 जनवरी, 2026 तक
17	<b>एन0आई0सी0 द्वारा स्फुटनी</b> PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लागिन पर उपलब्ध कराना।	12 जनवरी, 2026 से 22 जनवरी, 2026 तक

18	<b>त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना</b> छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना।	23 जनवरी, 2026 से 28 जनवरी, 2026 तक
19	<b>छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना</b> शिक्षण संस्था द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	23 जनवरी, 2026 से 31 जनवरी, 2026 तक
20	<b>एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कूटनी</b> छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण करके जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	02 फरवरी, 2026 से 12 फरवरी, 2026 तक
21	<b>जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना</b> जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	08 मार्च, 2026 तक
22	<b>मांग सृजन</b> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	12 मार्च, 2026 तक
23	<b>धनराशि का अन्तरण</b> जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड/ एन0पी0सी0आई0 से मैज्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित करने की कार्यवाही।	16 मार्च, 2026 तक

नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय-सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ-साथ निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- संस्था स्तर से छात्रों के आवेदन पत्र अग्रसारण की कार्यवाही सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला कल्याण अधिकारी के स्तर से मास्टर डाटा (कोर्स, फीस व सीट) लॉक होने के उपरांत ही की जायेगी।
- 2- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण/ प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर अथवा सम्बन्धित पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित हुई है, किन्तु परीक्षाफल घोषित नहीं हुआ है, की स्थिति में छात्र अपने आवेदन पत्र का नवीनीकरण करेंगे।

उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) न होने पर अथवा सम्बन्धित पाठ्यक्रम की परीक्षा आयोजित न होने पर शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किया जायेगा। परीक्षा आयोजित होने के पश्चात परीक्षाफल घोषित न होने की स्थिति में संस्था द्वारा Result Not Yet Declared आप्शन चुनकर आवेदन को फ्रीज किया जायेगा तथा संस्था स्तर पर आवेदन पत्र संशोधन किये जाने की अवधि में एन0आई0सी0 द्वारा संशोधन हेतु संस्था की लागिन पर प्रेषित किया जायेगा, जिससे कि पाठ्यक्रमों में परीक्षाफल घोषित होने की स्थिति में पूर्णांक/प्राप्तांक को संस्था द्वारा भरा जायेगा। उक्त निर्देशों का विचलन किये जाने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

- 3- नवीनीकरण छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या (Enrollment Numer) को संस्था द्वारा अंकित किया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अप्रसारित करते समय परीक्षाफल घोषित होने की स्थिति छात्र का गत वर्ष का परीक्षाफल (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा।
- 5- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित माड्यूल पर अपलोड किया जायेगा, जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइव हो सके तथा स्कूटनी के समय मिलान किया जा सके।
- 6- विभिन्न हितधारकों के स्तर से लम्बित अवशेष पात्र छात्रों को अगले चरण में सम्मिलित किया जायेगा।
- 7- किसी भी हितधारक के स्तर पर प्राप्त आवेदनों पर समयान्तर्गत निर्णय लिया जायेगा। आवेदन पत्र को सही होने की स्थिति में वेरीफाई करके अप्रसारित किया जायेगा तथा गलत होने की स्थिति में निरस्त किया जायेगा। किसी भी दशा में अपने स्तर पर लम्बित नहीं रखा जायेगा। शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी तथा जनपदीय कल्याण अधिकारी के स्तर पर आवेदन लम्बित होने पर सम्बन्धित नोडल अधिकारी का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
- 4- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशों/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by  
MANOJ KUMAR SINGH  
Date: 09-06-2025  
16:57:19

प्र०सं० एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 2- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 3- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/ मा०शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- निदेशक, कोषागार, उ०प्र० लखनऊ।
- 7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)  
विशेष सचिव।

Digitally signed by  
RAJENDRA SINGH  
Date: 10-06-2025  
12:04:06

## निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश

पत्रांक-९-१३४३

/स०क०/शिक्षा-अ/१/०३/२०२५-२६

लखनऊ

दिनांक १३ जून, २०२५

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण अनुभाग-३
- ✓ 2- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- ✓ 7- वित्त नियंत्रक, मुख्यालय।
- 8- समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को शासनादेश दिनांक १०-०६-२०२५ द्वारा जारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत समय-सारिणी संलग्न कर प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि जनपद में स्थित सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित समस्त केन्द्रीय/राज्य/निजी/डीम्ड विश्वविद्यालयों, समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, आटोनाॅमस राजकीय शिक्षण संस्थान, समस्त निजी शिक्षण संस्थान, सम्बन्धित जनपदीय अधिकारियों, नोटिस बोर्ड तथा स्थानीय समाचार पत्रों में व पैम्पलेट के माध्यम से समय-सारिणी में उल्लिखित तिथियों का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें तथा समय-सारिणी की प्रति सम्बन्धित को उपलब्ध कराते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समुचित कार्यवाही हेतु बैठक भी आयोजित करायें।

Digitally signed by  
KUMAR PRASHANT

Date: 12-06-2025

14:31:14 ( कुमार प्रशान्त )

निदेशक



प्रेषक,

निदेशक,

समाज कल्याण,

उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पत्रांक- C-1426/स0क0/शिक्षा-अ/9/ /2025-26.

लखनऊ: दिनांक: / 8 जून, 2025

विषय:- छात्रवृत्ति आनलाइन आवेदन पत्र में लगाये जाने वाले आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।  
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत उ0प्र0 के मूल निवासी छात्र/छात्राओं हेतु शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्कप्रतिपूर्ति योजना से लाभान्वित होने हेतु शासन द्वारा आवेदन करने हेतु दिनांक 10.07.2025 से पोर्टल खोले जाने से अवगत कराते हुए समय सारिणी पत्र संख्या 115/2025/1370/26-3-2025-1741051 दिनांक 10.06.2025 जारी की गयी है।

नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार छात्रवृत्ति आनलाइन आवेदन में लगने वाला आय प्रमाण छात्र/छात्रा के पिता का एवं पिता के न होने की स्थिति में माता का तथा माता/पिता दोनों के जीवित न होने की दशा में संरक्षक का मान्य होगा तथा छात्रा के विवाहित होने की स्थिति में पिता के स्थान पर उसके पति का आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे अपने स्तर से जनपद में संचालित शैक्षणिक संस्थानों के नोडल अधिकारियों, राजस्व विभाग के अधिकारियों को उक्तानुसार अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त

भवदीय

Digitally signed by

KUMAR PRASHANT

Date: 18-06-2025 (कुमार प्रशान्त )

12:29:24

निदेशक

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- विशेष सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को सूचनार्थ।
  - 2- समस्त मण्डलीय संयुक्त/उप निदेशक को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।
  - 3- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

## अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, लखनऊ

पूर्वदशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत निर्धारित तिथि

वित्तीय वर्ष 2025-26

विवरण	पूर्वदशम			
	छात्र/छात्रा स्तर	शिक्षण संस्था स्तर	जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर	जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी स्तर
शिक्षण संस्थाओं का मास्टर डाटा सत्यापन	-	01 जुलाई, 2025 से 05 अक्टूबर 2025 तक	02 जुलाई, 2025 से 15 अक्टूबर 2025 तक	-
आनलाईन आवेदन करने/सत्यापन की तिथि	02 जुलाई, 2025 से 30 अक्टूबर 2025 तक	03 जुलाई 2025 से 06 नवम्बर, 2025 तक	07 नवम्बर, 2025 से 15 नवम्बर 2025 तक	18 नवम्बर 2025 से 24 दिसम्बर 2025 तक

विवरण	दशमोत्तर छात्रवृत्ति				
	चरण	छात्र/छात्रा स्तर	शिक्षण संस्था स्तर	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग ऐजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर	जनपद स्तर
शिक्षण संस्थाओं का मास्टर डाटा सत्यापन	-	-	07 जुलाई, 2025 से 25 नवम्बर 2025 तक	08 जुलाई, 2025 से 05 दिसम्बर 2025 तक	09 जुलाई, 2025 से 12 दिसम्बर 2025 तक
आनलाईन आवेदन करने/सत्यापन की तिथि	प्रथम चरण	10 जुलाई, 2025 से 20 दिसम्बर 2025 तक	11 जुलाई, 2025 से 10 दिसम्बर 2025 तक	11 दिसम्बर, 2025 से 18 दिसम्बर 2025 तक	23 दिसम्बर, 2025 से 10 जनवरी 2026 तक
	द्वितीय चरण		11 दिसम्बर, 2025 से 10 जनवरी 2026 तक	12 जनवरी 2026 से 24 जनवरी 2026 तक	08 मार्च 2026 तक